न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **09/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

अरूण चन्द्र देराश्री एडवोकेट महादेव पैलेस पोस्ट ऑफिस के पास, बनेडा जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27.02.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 29.01.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 926710 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 04.09.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक/175 दिनांक 19.02.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 04.09.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार बिजौलिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना पत्रांक/सु.अ./2019/173 दिनांक 08.02.2019 से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना नहीं दी जाकर अशोक कुमार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटोप्रतियां भेजी गयी जो गलत सूचना है। अतः निवेदन हैं कि सही सूचना दिलायी जावे।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये 15 दिवस में प्रत्यर्थी तहसीलदार भीलवाडा द्वारा अपलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। प्रत्यर्थी को भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा